

फाइल क्रमांक 5/20/2017-तटीय सुरक्षा (भाग III)(खंड IV)

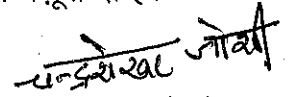
भारत सरकार, गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन विभाग, (सीमा प्रबंधन-II प्रभाग)

कमरा नंबर 12, द्वितीय तल
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम
इंडिया गेट, नई दिल्ली
दिनांक 07th जुलाई, 2026

कार्यालय आदेश

यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने 'नेशनल एकेडमी ऑफ़ कोस्टल पुलिसिंग' (NACP) को गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate Office) के रूप में मंजूरी दी है।



(चंद्र शेखर जोशी)

समादेशक(तटीय सुरक्षा)

दूरभाष - 011-23075337

ईमेल : csbm2@mha.gov.in

सेवा में,

एचओडी (निदेशक)

एनएसीपी, ओखा, गुजरात

प्रतिलिपि:

- i) केंद्रीय गृह मंत्री/ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री(N)/केंद्रीय गृह राज्य मंत्री(BSK) के निजी सचिव/ओएसडी
- ii) गृह सचिव के पीएसओ
- iii) सचिव (बीएम) के पीएसओ/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव
- iv) विशेष सचिव (IS) के प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव
- v) प्रधान सीसीए के पीएसओ/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव
- vi) गृह मंत्रालय के सभी अतिरिक्त सचिवों के पीएसओ/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव
- vii) गृह मंत्रालय (पी) के सभी संयुक्त सचिव
- viii) गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
- ix) वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :

- (i) प्रधान मंत्री कार्यालय
- (ii) कैबिनेट सचिव के स्टाफ अधिकारी
- (iii) निदेशक, नीति आयोग
- (iv) निदेशक, एनएससीएस
- (v) डायरेक्टर जनरल (ICG)
- (vi) तटीय राज्यों / तटीय केंद्र शाशित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक
- (vii) एकिकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(N)
- (viii) अनुभाग अधिकारी, आईटी सेल, गृह मंत्रालय, कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।